



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273807
CG-DL-E-24062026-273807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3187]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3187]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3319(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH931 प्रतापगढ़ - अमेठी - गौरीगंज - मुसाफिरखाना मार्ग के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.400 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH931 प्रतापगढ़ - अमेठी - गौरीगंज - मुसाफिरखाना मार्ग के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: प्रतापगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: प्रतापगढ़					
गांव का नाम: जोगीपुर					
1	120	सरकारी	रास्ता	0.0129 (हेक्टेयर)	0.0129
2	121	निजी	कृषि	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
3	126	निजी	कृषि	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
4	127	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
5	128	निजी	कृषि	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
6	134	निजी	कृषि	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
7	136	निजी	कृषि	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
8	141	निजी	कृषि	0.115 (हेक्टेयर)	0.115
9	150	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
10	39	सरकारी	नवीन परती	0.0094 (हेक्टेयर)	0.0094
11	41	निजी	कृषि	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
गांव का नाम: अंतू					
12	2718	निजी	कृषि	0.115 (हेक्टेयर)	0.115
गांव का नाम: चौरा					
13	93	निजी	कृषि	0.044 (हेक्टेयर)	0.044

गांव का नाम: गडवारी शुकुलपुर					
14	130	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
15	132	निजी	कृषि	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
16	133	सरकारी	रास्ता	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
17	134	सरकारी	रास्ता	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
18	135	निजी	कृषि	0.054 (हेक्टेयर)	0.054
19	136	सरकारी	सहायक संभागीय परिवहन	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
20	138	निजी	कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
21	196	सामान्य	कृषि/बंजर	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
22	49	निजी	कृषि	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
23	506	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
24	51	सरकारी	बंजर	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
25	511	सामान्य	कृषि/उसर	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
26	512	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
27	514	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
28	52	सरकारी	नाला	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
29	521	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
30	53	निजी	कृषि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
31	54	सरकारी	रास्ता	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
32	56	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
33	57	निजी	कृषि	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
34	64	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
35	66	सरकारी	उसर	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
36	68	सरकारी	उसर	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
37	70	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
Total					1.5659

[फा.सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-931/2022-23/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3319(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH931 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km 22.400 Pratapgarh – Amethi – Gauriganj – Musafirkhana Road of the National Highway No. 931 in the District-Pratapgarh in the State of Uttar Pradesh.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the **Competent Authority, namely, Chief Revenue Officer, Pratapgarh** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km 22.400 Pratapgarh – Amethi – Gauriganj – Musafirkhana Road of the National Highway No. 931 in the District-Pratapgarh in the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: PRATAPGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pratapgarh					
Village: Jogipur					
1	120	Government	Rasta	0.0129 (Hectare)	0.0129
2	121	Private	Agriculture	0.37 (Hectare)	0.37
3	126	Private	Agriculture	0.026 (Hectare)	0.026
4	127	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
5	128	Private	Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
6	134	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
7	136	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
8	141	Private	Agriculture	0.115 (Hectare)	0.115
9	150	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
10	39	Government	Naveen Parti	0.0094 (Hectare)	0.0094
11	41	Private	Agriculture	0.013 (Hectare)	0.013
Village: Antu					
12	2718	Private	Agriculture	0.115 (Hectare)	0.115
Village: Chaura					
13	93	Private	Agriculture	0.044 (Hectare)	0.044
Village: Gadwari Shukulpur					
14	130	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042

15	132	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
16	133	Government	Rasta	0.018 (Hectare)	0.018
17	134	Government	Rasta	0.086 (Hectare)	0.086
18	135	Private	Agriculture	0.054 (Hectare)	0.054
19	136	Government	RTO Office	0.008 (Hectare)	0.008
20	138	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
21	196	Common	Agriculture/Banjar	0.07 (Hectare)	0.07
22	49	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
23	506	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
24	51	Government	Banjar	0.004 (Hectare)	0.004
25	511	Common	Agriculture/Usar	0.003 (Hectare)	0.003
26	512	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
27	514	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
28	52	Government	Nala	0.011 (Hectare)	0.011
29	521	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
30	53	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
31	54	Government	Rasta	0.012 (Hectare)	0.012
32	56	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
33	57	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
34	64	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
35	66	Government	Usar	0.036 (Hectare)	0.036
36	68	Government	Usar	0.042 (Hectare)	0.042
37	70	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
Total					1.5659

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-931/2022-23/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director